

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 17-05-2021

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में अवैध कच्ची अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत टीम बनाकर अवैध शराब के विरुद्ध जगह-जगह छापेमारी की गयी। दबिश के क्रम में ग्राम चकरा अक्वल से एक नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र निषाद पुत्र बनवारी निषाद निवासी हर्बट बंधा चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 45 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 700 ग्राम नौसादर तथा 500 ग्राम यूरिया मय एक अदद वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं0 HR 03 N 0467 बरामद की गयी। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/2021 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

धर्मेन्द्र निषाद पुत्र बनवारी निषाद निवासी हर्बट बंधा चकरा अक्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 17.05.2021 समय 06.40 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – चकरा अक्वल,

बरामदगी-

700 ग्राम नौसादर तथा 500 ग्राम यूरिया मय एक अदद वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं0 HR03N0467

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 117/2021 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्र0नि0 श्री अरुण पंवार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- का0 धर्मेन्द्र भारद्वाज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 4- का0 दीपक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।